

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 307 / 2025

1 राजेन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
वादी

बनाम्

- 1 रामेती पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सरोज पुत्री सोहनलाल पत्नी राजेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा।

—प्रतिवादी—


डिक्री

दिनांक 17/9/25.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजयशर्मा व प्रतिवादी वकील जे०एन०शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक न० 5 के. एच. आर जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 6/221 में दर्ज 0. 1040 हे. में सोहनलाल पुत्र मनफूल के नाम से दर्ज में 35/104 हिस्सा की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चक न० 5 के. एच. आर जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 6/221 से सोहनलाल पुत्र मनफूल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।